

- आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में ली गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
283	283	मोहनाराम पुत्र	501	0.16	मोहनाराम पुत्र	501	0.16
अलखुर्		देवाराम प्रमति	1152		देवाराम प्रमति	1152	
		जगद शां देह			जगद शां देह		
		खतेदार शीघ			खतेदार शीघ		
		प्रसा. बदस्तूर			प्रसा. बदस्तूर		

क्रमांक :- 773
~~598~~

प्रतिलिपि पालनार्थ :-


1. उप तहसीलदार, मौलासर



 शिवर प्रसादी
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
 दिनांक :- 8/11/21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय को स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 शिवर प्रसादी
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
 दिनांक :-


 उप तहसीलदार, मौलासर
 जिला - गोरखपुर